

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2020

विषय:-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने विषयक निर्गत शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019, श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25-8-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि संदर्भित शासनादेश स्वतः स्पष्ट होने के उपरान्त भी कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन पूर्णरूप से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 25-8-2020 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् जेम पोर्टल/ई-निविदा के माध्यम से पूर्व में निष्पादित हुई निविदाओं, जिनमें क्रयादेश जारी किया जा चुका है, का नवीनीकरण/विस्तारीकरण नहीं किया जायेगा। इस शासनादेश के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/20/1/91-क-2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 में निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर पूर्ववर्ती निविदायें निरस्त मानते हुए नई निविदायें जेम से की जायेंगी।" यह समय सीमा 25 अगस्त, 2020 को समाप्त हो चुकी है किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पुराने अनुबन्ध को बढ़ाकर पूर्व सेवा प्रदाता कम्पनियों से पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है अथवा अनुबन्ध को बढ़ाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से अनुरोध किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश के निर्गमन के पश्चात् जेम पोर्टल की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।

3- जेम पोर्टल से मैनपावर आपूर्ति के संबंध में उर्पयुक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था से विचलन कदापि न किया जाय और निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय-

(i) विभाग द्वारा अपनी आउटसोर्सिंग मानव संसाधन की सकल आवश्यकता को चिन्हित कर जेम पोर्टल की "बन्ध निविदा" विधि से एक ही निविदा द्वारा की जाय, जिससे सक्षम सेवाप्रदाता का चयन हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ii) ई0एम0डी0 का निर्धारण शासनादेश दिनांक 25.08.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जाय और इसमें किसी प्रकार की छूट या शिथिलता उक्त शासनादेश की व्यवस्था के विपरीत न दी जाय। ई0एम0डी0/एफ0डी0आर0 जमा करने के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018/3070/78-2-2018/42 आई0टी0/2017 (22), दिनांक 03-01-2018 निर्गत है। इसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

(iii) तकनीकी निविदाओं में सभी अर्ह निविदाकर्ताओं को क्वालीफाई घोषित किया जाय, जिससे एक ही सेवाप्रदाता से संबंधित कम्पनियों के ही प्रतिभाग करने की सम्भावना न रह जाय अथवा कम्पनियों के पूल टेण्डर की आशंका न रह सके और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो सके। वर्तमान में ब्लैकलिस्टेड/ डिबार कम्पनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी कम्पनी को निविदा में प्रतिभाग करने पर कोई रोक नहीं है। पूर्व में ब्लैकलिस्टेड/डिबार हो चुकी ऐसी कम्पनियाँ जिनकी ब्लैकलिस्टिंग/डिबार अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनके पक्ष में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया हो, ऐसी समस्त कम्पनियाँ निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

(iv) यदि किसी सेवा प्रदाता कम्पनी की निविदा तकनीकी रूप से अर्ह नहीं है तो इसे निरस्त करते समय स्पष्ट कारण (Speaking Reason) अंकित किया जाना चाहिये तथा सेवा प्रदाता को अपना पक्ष रखने के लिए अनुमन्य समय प्रदान करते हुये उनकी जिज्ञासा का समाधान भी किया जाना चाहिये। बिना स्पष्ट कारण बताये सेवाप्रदाताओं की निविदायें तकनीकी रूप से निरस्त नहीं की जानी चाहिये।

(v) ई0एम0डी0 तथा प्रोफाइल प्रपत्रों की हार्ड प्रति के अभाव में किसी सेवा प्रदाता की निविदा तकनीकी रूप से निरस्त नहीं की जानी चाहिये बल्कि इस संबंध में शासनादेश दिनांक 25-8-2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप ही बायर द्वारा ई0एम0डी0 जमा करायी जाय।

(vi) कार्मिकों को देय मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 25.08.2020 के अनुसार कार्यवाही की जाय, जिसमें यह स्पष्ट उल्लिखित है कि जिस कार्मिक को जो मानदेय प्राप्त हो रहा है, उससे कम मानदेय अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

(vii) अपरिहार्य स्थिति तथा बिना किसी ठोस कारण के बार-बार निविदा तिथि न बढ़ाई जाय तथा निर्धारित अवधि में ही निविदा प्रक्रिया का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(viii) निविदाओं में अवांछित प्रपत्र न मांगे जाय और न ही अनावश्यक नई शर्त लगाकर सेवाप्रदाताओं की निविदायें निरस्त की जाय। कोई भी विशिष्ट शर्त लगाने से पूर्व जेम नीति का अध्ययन गहनता से भली-भांति कर लिया जाय तथा जेम निविदा में कोई भी ऐसी अनावश्यक शर्त न रखी जाये जो जेम नीति अथवा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों में विचलन उत्पन्न करती हों।

(ix) सेवा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि न्यूनतम 0.01 प्रतिशत सेवा शुल्क से अभिप्राय दो कम्पनियों/सेवा प्रदाताओं के मध्य सेवा शुल्क के अन्तर से है। सेवा शुल्क के निर्धारण हेतु उदाहरण निम्नवत है, जिसका उपयोग किया जा सकता है-

क्र0स0	विवरण	दर (प्रतिशत)
1	आयकर कटौती, सेवा प्रदाता हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 की उपधारा 'सी' के अन्तर्गत	2
2	जी0एस0टी0 कटौती	2
3	जेम सेवा शुल्क	0.50
4	बीमा	नियमानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	बोनस	बोनस यदि देय हो तो आगणित किया जाय अथवा नहीं
---	------	---

कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत उक्त मानक के अतिरिक्त जो भी सेवा शुल्क बायर विभाग निर्धारित करना चाहें, स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं।

(x) सक्षम तथा सुदृढ़ सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु आवश्यक है कि सेवा प्रदाताओं का चयन दीर्घकालीन अवधि हेतु किया जाये। सेवाओं के क्रय हेतु विभागीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 को लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत आरक्षण/क्रय नीति तभी लागू होगी जब निविदा RUN L1 के द्वारा प्रदेश के बाहर की कम्पनी को आवंटित हों और प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु कम्पनियों द्वारा तकनीकी निविदा क्वालीफाई की गयी हो, ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश की इकाईयां एल-1 कम्पनी द्वारा दी गयी दरों पर कार्य करने की इच्छुक हों तो एल-1 को आवंटित कुल कार्यदिश का 25 प्रतिशत तक का कार्य प्रदेश की एक या एक से अधिक इकाईयों के मध्य आवंटित किया जायेगा।

(xi) सेवा प्रदाताओं को किसी भी दशा में मैन्युवल निविदा आवंटित न की जाय।

4- विभागाध्यक्षों द्वारा निविदा उपरान्त सेवा प्रदाता कम्पनियों पर निम्न बिन्दुओं के आधार पर नियंत्रण रखा जायेगा ताकि उनके द्वारा किसी कार्मिक का उत्पीड़न न किया जा सके-

(i) सेवा प्रदाता द्वारा निविदा आवंटन हेतु जमा की गयी ई.एम.डी./एफ.डी./बी.जी. सत्यापन अवश्य कराया जायेगा तथा निविदा आवंटन पश्चात् जब तक सेवा प्रदाता द्वारा EPBG जमा नहीं की जायेगी तथा उसका सत्यापन नहीं हो जायेगा, तब तक सेवा प्रदाता को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) सेवा प्रदाता को नये कार्मिकों की भर्ती शत-प्रतिशत श्रम विभाग के शासनादेश दिनांक 18.08.2020 के क्रम में सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। पुराने कार्यरत कार्मिकों की सूची एक बार में अन्तिम रूप में बना ली जाय। पूर्व कार्मिकों के सत्यापन का कार्य वेतन निर्गमन के साथ ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जायेगा।

(iii) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा प्रदाता को समाप्त हुए माह के अगले कार्य दिवस में कार्मिकों की उपस्थिति ई-मेल द्वारा उपलब्ध करा दी जाय। उपस्थिति प्राप्त होने के 04 से 06 कार्य दिवस के अन्दर सेवा प्रदाता द्वारा कार्मिकों को उनका मानदेय अवश्य प्रदान कर दिया जाय तथा प्रत्येक माह की 14 तारीख तक पी.एफ. एवं ई.एस.आई. आदि सेवा प्रदाता द्वारा जमा कर दी जाय। उक्त के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष द्वारा सेवाप्रदाताओं को संबंधित धनराशि का भुगतान 30 कार्य दिवस में अवश्य कर दिया जाय। मानदेय भुगतान में विलम्ब की स्थिति में जेम नीति के अनुसार सेवा प्रदाता के ऊपर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

5- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मैनपावर आपूर्ति (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के कार्य को पारदर्शी व समयबद्ध रूप से तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थानों में मैनपावर आपूर्ति हेतु जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है। इस हेतु समय-समय पर स्पष्ट शासनादेश भी निर्गत किये गये हैं, परन्तु अभी भी कतिपय विभागों द्वारा जेम पोर्टल की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और कतिपय पृच्छायें की जा रही हैं, जबकि जेम पोर्टल पर सामग्रियों के क्रय व सेवाओं की आपूर्ति में आ रही किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा जेम प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गयी है, जिसके माध्यम से कठिनाइयों का निराकरण कराया जा सकता है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रदेश में मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में योजित रिट याचिका संख्या-7937(एम.बी.)/2020 एवं याचिका संख्या-31208/2009(एम.बी.) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी होंगे।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- (3) निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को, मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
- (4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (6) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
- (7) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
- (8) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- (9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- (11) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
- (12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।